सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/324 दिनांकः 26–10–2018

अपमा की 50वीं वार्षिक साधारण सभा के सन्दर्भ में

आदरणीय सदस्यगण,

जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि अपमा की 50वीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 को सायं 7.00 बजे समुदाय भवन, तिकोना पार्क, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 में आयोजित होने जा रही है।

साधारण सभा में सदस्य फर्म का नोमीनी ही केवल भाग ले सकता है एवं वार्षिक साधारण सभा में प्रवेश हेतु आपको अपना फोटो पहचान पत्र (जैसे–सदस्यता आई.डी.कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स का पेन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड) अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। बिना पहचान पत्र के वार्षिक साधारण सभा में प्रवेश नहीं होगा।

साथियों, इस वार्षिक साधारण सभा में चुनाव आयुक्त 2018–2020 के लिए निर्वाचित हुए प्रधान एवं कार्यकारिणी के 20 सदस्यों की घोषणा की जायेगी। इस सभा का मुख्य एजेण्डा सत्र 2018–2020 के लिए नवनिर्वाचित टीम को उनके पद की शपथ दिलाकर कार्यभार सौंपना है। इसके अलावा साधारण सभा में संस्था के गत वर्ष के लेखा–जोखा एवं कार्यो का मूल्यांकन कर आगामी वर्ष की कार्य योजना हेतु नीति निर्धारित की जाती है तथा संस्था को सक्रियता व ठोस आधार देते हुए सुचारू रूप से संचालन हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं। आप भलीभांति जानते हैं कि सदस्य ही संस्था की नींव होते है और सदस्यों के द्वारा ही अहम् फैसले लिये जाते है, जिसके कारण आपकी उपस्थिति आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है।

अतः आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि आप अपनी संस्था की इस साधारण सभा में अवश्य पधारें और अपने ठोस एवं सार्थक सुझावों से सभा को सफल बनायें। *वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने वाले व्यापारी भाईयों के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था की गई है।*

कृ0प0उ0.............2

सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/325

''सार्वजनिक सूचना''

सामान्य व्यापार/भंडारण लाईसेंस (जनरल ट्रेड / स्टोरेज लाईसेंस)

आप सभी व्यापारी भाईयों को पुनः सूचित किया जाता है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North Delhi Municipal Corporation) में स्थित प्रत्येक दुकान और गादाम को म्यूनिसिपल लाइसेंस, जिसे सामान्य व्यापार / भंडारण लाइसेंस(जीटीएल) कहा जाता है, लेना अपेक्षित है, जिसे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी छह जोनल कार्यालयों में स्थित नागरिक सेवा ब्यूरो या प्राधिकृत एजेंसी (मैसर्स एम.आर. एसोसिएट्स) के माध्यम से कुछ सरल दस्तावेज और आवश्यक फीस का भुगतान करके प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में कई दुकानें और गोदाम बिना लाइसेंस के चल रहें हैं। ऐसी सभी बिना लाईसेंस वाली दुकानों को 05/11/2018 के बाद सील कर दिया जाएगा।

इसलिए आप सभी व्यापारी भाईयों से अनुरोध है कि ट्रेड लाइसेंस बनवाने हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा अधिकृत M/s. M.R. Associates के दो कर्मचारी श्री अनिल कुमार मोबाइल नं0 9911932174 एवं सुश्री रीतू तिवारी मोबाइल नं0 8368103959 से सम्पर्क करें। अधिक जानकारी हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पोर्टल का पता निम्नलिखित है :–http://111.93.47.72/csbndmc/gtl/online_gtlregistration.php

---

सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/326

''अपमा निःशुल्क डिस्पेन्सरी में दवाओं का वितरण''

01. श्री राजीव कुमार गोयल जी मै0 जय ऑटो इण्डस्ट्रीज, 2616, नेहरू मोटर मार्किट, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 ने अपने स्व0 आदरणीय पिताजी श्री रमेश चन्दर गोयल जी की दिनांक 14–10–2018 को द्वितीय पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में जरूरतमंद मरीजों के इलाज एवं दवाईयों हेतु आर्थिक योगदान।

02. श्री सुनील माणिक जी एवं संजीव माणिक जी मै0 विंग्स सेल्स कारपोरेशन, 917, हेमिल्टन रोड, कश्मीरी गेट दिल्ली–110006 ने अपने आदरणीय पिताजी स्व0 श्री नन्द लाल माणिक जी की आठवीं पुण्य तिथि (16–10–2018) के उपलक्ष्य में जरूरतमंद मरीजों के इलाज एवं दवाईयों हेतु आर्थिक योगदान।

अपमा प्रधान एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों की ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को शान्ति दें तथा उनके परिवारों को सुख, समृद्धि व खुशहाली प्रदान करें एवं सभी अपने–अपने समस्त परिवार एवं प्रियजनों सहित सदैव स्वस्थ, निरोग, प्रसन्नचित रहत हुए दीर्घायु को प्राप्त करें।

(विष्णु भार्गव)
म्हासचिव

अपमा
AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION (Regd.)
Estd. 1965
WWW.APMA.IN